HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 914/2026

Ganpati Vishwas S/o Narayan Chand, Aged About 55 Years, R/o Ward No. 18, Nomuthya Ka Bas, Bandikui District Dausa.

----Appellant

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor
2. Yogesh S/o Premkumar, Aged About 26 Years, Resident Of Ward No. 20, Nomuthya Ka Bas,bandikui
3. Santosh Alias Nandkishore S/o Ramdhan, Aged About 52 Years, Resident Of Ward No. 20, Nomuthya Ka Bas,bandikui
4. Premkumar Alias Pappi S/o Ramdhan, Aged About 56 Years, Resident Of Ward No. 20, Nomuthya Ka Bas,bandikui
5. Kunj Bihari S/o Moolchand, Aged About 70 Years, R/o Ward No. 30, Anji Ka Bas, Gudha Road, Bandikui.
6. Padma Devi W/o Santosh Alias Nandkishore, Aged About 42 Years, Resident Of Ward No. 20, Nomuthya Ka Bas,bandikui, District Dausa.
7. Seema Devi W/o Prem Kumar, Aged About 45 Years, Resident Of Ward No. 20, Nomuthya Ka Bas,bandikui, District Dausa.
8. Sidharth Kumar S/o Prem Kumar, Aged About 24 Years, Resident Of Ward No. 20, Nomuthya Ka Bas,bandikui, District Dausa.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Saurabh Yadav Mr. Harshit Bhatt
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P. with Mr. Navdeep Singh

---

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

30/04/2026

अपीलार्थी/परिवादी गणपति विश्वास की ओर से विचारण न्यायालय–विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, दौसा, जिला दौसा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–71/2020, राजस्थान राज्य बनाम योगेश व अन्य में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 24.03.2026 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है। आलौच्य निर्णय से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण योगेश, सन्तोष उर्फ नन्दकिशोर, प्रेमकुमार उर्फ पप्पी, कुंज बिहारी, पदमा देवी, सीमा देवी व सिद्धार्थ कुमार को धारा 147, 341, सपठित धारा 149 व धारा 323 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों में दोषसिद्ध करते हुए उन्हें परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया जाकर परीवीक्षा पर छोड़ा गया, किन्तु अभियुक्तगण को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) की धारा 3(1)(आर) व 3(1)(एस) से दोषमुक्त किया गया।

अपील के निस्तारण के क्रम में प्रकरण के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी गणपति विश्वास ने दिनांक 05.09.2019 को पुलिस थाना बांदीकुई में एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि उसका मकान वार्ड नंबर 18 के नोमुख्या के बास में स्थित है। दिनांक 04.09.2019 को दोपहर करीब 3.00 बजे वह एवं रामकरण सैनी अपने मकान पर बैठे थे कि अचानक कुंजबिहारी, श्यामा देवी, प्रेम कुमार उर्फ पप्पी, अभिषेक, आशीष, प्रेम कुमार उर्फ पप्पी की पत्नी, नंदकिशोर, प्रेम कुमार उर्फ पप्पी के दो लडके व एक साला, अभिषेक, आशीष की पत्नियां हाथों में लाठी–डण्डे, लोहे के सरिये, कुल्हाडी आदि प्राणघातक हथियारों से लैस होकर आये व आते ही उसके मकान के अन्दर घुसकर इन सभी लोगों ने मारपीट की। कुंजबिहारी के हाथों में कुल्हाडी थी, प्रेम कुमार उर्फ पप्पी के हाथों में लोहे का सरिया, बाकी सभी के हाथों में लाठी–डण्डे थे। प्रेम कुमार उर्फ पप्पी ने उसके सिर में सरिये की मारी व कुंजबिहारी ने रामकरण सैनी के सिर व हाथ में कुल्हाड़ी की मारी। बाकी सभी लोगों ने लाठी–डण्डों व लात–घूसों से मारपीट की, जिससे उसका एवं रामकरण का सिर फट गया, उसके एवं रामकरण के हाथों व शरीर में

जगह–जगह चोटें आईं। उनके चिल्लाने पर पवन सोनी व महेन्द्र गुर्जर, मदन गुर्जर ने बीच–बचाव किया वरना ये सब लोग हमको जान से मार देते। इन लोगों ने दिनांक 01.09.2019 को भी उसके साथ मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट भी उसने पुलिस थाना बांदीकुई को दे रखी है। कल उसको व रामकरण के गम्भीर चोट आने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद बांदीकुई अस्पताल से दौसा रैफर कर दिया, दौसा से आज डिस्चार्ज होने के बाद में रिपोर्ट दर्ज कराने आया है...इत्यादि। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना बांदीकुई द्वारा मुकदमा नंबर–424/2019 अंतर्गत 143, 341, 323, 451 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(s) व 3(1)(द) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) अधिनियम के तहत अपराधों के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 341, सपठित धारा 149, 323 भा.द.सं. व धारा 3(1)(आर) व 3(1)(एस) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) अधिनियम के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए समझाए गए, जिन्हें सुन व समझकर अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

आरोपित अपराध को प्रमाणित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में कुल 13 गवाहान को परीक्षित कराया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित कराई गई। अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षण किया गया।

तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बहस अंतिम सुनकर आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण योगेश, सन्तोष उर्फ नन्दकिशोर, प्रेमकुमार उर्फ पप्पी, कुंज बिहारी, पदमा देवी, सीमा देवी व सिद्धार्थ कुमार को धारा 147, 341, सपठित धारा 149 व धारा 323 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों में दोषसिद्ध करते हुए उन्हें परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया जाकर छोड़ा गया, किन्तु उन्हें धारा 3(1)(आर) व 3(1)(एस) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

(अ.नि.) से दोषमुक्त किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी–परिवादी की ओर से यह अपील पेश कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश को चुनौती दी गई है।

बहस अपील सुनी गई।

अपीलार्थी–परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का सही रूप से विवेचन–विश्लेषण नहीं किया गया है। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति धारा 3(1)(आर) व 3(1)(एस) के आरोप के संबंध में स्पष्ट एवं सुदृढ़ साक्ष्य होने के बावजूद अभियुक्तगण को उक्त अपराध से दोषमुक्त किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी/अपीलकर्ता गणपति विश्वास पी.डब्ल्यू–5 की साक्ष्य के विवेचन–विश्लेषण करने में विधिक भूल की है, जबकि परिवादी ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी/प्रत्यर्थीगण ने परिवादी को उसके घर से घसीटकर बाहर निकाला, नीच जात की जातिसूचक गालियों से अपमानित किया और उसके इलाके में संपत्ति खरीदने के अधिकार पर सवाल उठाया, अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय विधि के विपरीत होने से त्रुटिपूर्ण है, अतः अपील स्वीकार कर अभियुक्तगण को अनु0जाति/जनजाति के अपराधों में दोषसिद्ध किए जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विधिसम्मत आदेश/निर्णय पारित किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अधिवक्ता परिवादी के तर्कों पर विचार किया गया, परिवादी पी0डब्ल्यू–5 की साक्ष्य, अन्य साक्षीगण की साक्ष्य एवं आक्षेपित निर्णय दिनांक 24.03.2026 का ध्यानूपर्वक अवलोकन किया गया।

परिवादी के योग्य अधिवक्तागण का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अनुसूचित जाति–जनजाति के संबंध में पर्याप्त एवं सुदृढ़ साक्ष्य होने के बावजूद भी उन्हें उक्त आरोप से दोषमुक्त किया है। इस संबंध में परिवादी गणपति विश्वास जो कि अभियोजन

की ओर से पी0डब्ल्यू–5 के रूप में परीक्षित हुआ है, उसके मुख्य परीक्षण बयानों के अवलोकन का अवलोकन करें तो उसने अपने बयान में अभियुक्तगण द्वारा मात्र नीच–जात की गालियां देने का कथन किया है, किन्तु विशिष्ट जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो, ऐसा स्पष्ट नहीं हुआ है, इसके अलावा परिवादी ने जिरह के दौरान इस सुझाव को सही होना स्वीकार किया है कि उसके साथ कोई गाली–गलौज की हो या अपमानित किया हो, ऐसी कोई बात रिपोर्ट में नहीं लिखी हुई है। वह राजस्थान में किस जाति से आता है ऐसा कोई प्रमाण पत्र उसने पुलिस को नहीं दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से भी यह प्रकट हुआ है कि परिवादी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति के अपराध से संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं कराया है। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा परिवादी का कोई जाति प्रमाण–पत्र भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही अभियोजन द्वारा परिवादी का कोई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया गया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पैरा संख्या–37 का अवलोकन करें तो इसमें भी यह स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष दिया गया है परिवादी राजस्थान में किस जाति से आता है, ऐसा कोई प्रमाण पत्र भी परिवादी ने पुलिस को नहीं दिया है, न ही परिवादी द्वारा विचारण के दौरान उसकी जाति के संबंध में कोई भी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया गया है। इसके अतिरिक्त विचारण के दौरान दस्तावेज प्रदर्श डी–1 स्टाम्प प्रदर्शित हुआ है, जो परिवादी गणपति विश्वास द्वारा खरीदा जाना एवं स्टाम्प पर परिवादी की जाति ब्राह्मण अंकित होना जिसे परिवादी द्वारा स्वीकार किया जाना प्रकट हुआ है। इसके अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य आहत गवाह पी0ड4 रामकरण एवं प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी0ड06 कल्पना जो कि परिवादी की पत्नी है तथा अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी0ड07 पवन कुमार के बयानों के अवलोकन से उन्होंने अपने बयानों में अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को किसी जातिसूचक शब्दों से संबोधित करते हुए अपमानित किया गया हो, प्रकट नहीं हुआ है।

अतः ऐसी स्थिति में उपलब्ध सामग्री से यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के समस्त तथ्यों पर पूर्ण विचार करते हुए उपलब्ध साक्ष्य–सामग्री का सही रूप से विवेचन–विश्लेषण करते हुए प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तगण संख्या–2 लगायत 8 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) की धारा 3(1)(आर) व 3(1)(एस) से दोषमुक्त किए जाने के संबंध में निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधता, अनुचितता एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होने से उक्त निर्णय में कोई हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–परिवादी की ओर से प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार कर निरस्त की जाती है और विद्वान विचारण न्यायालय, विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, दौसा, जिला दौसा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–71/2020, राजस्थान राज्य बनाम योगेश व अन्य में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 24.03.2026 को संपुष्ट किया जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /67